बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01 / स्था०क्षे०–303 / 2026 पटना, दिनांक फरवरी, 2026

का र्या ल य आ दे श

कृषि विभाग के आदेश संख्या–4140 दिनांक–04.09.2025 क्रमांक–614 द्वारा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–01 (शष्य) के पदाधिकारी श्री अभी गुप्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की सेवा गन्ना उद्योग विभाग को सौंपी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय आदेश संख्या–210 दिनांक–05.10.2025 के द्वारा उनको दिनांक–05.10.2025 के अपराह्न से विरमित किया गया है। श्री अभी गुप्ता द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में दिनांक–06.10.2025 के पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1943 दिनांक–16.12.2025 के क्रमांक–10 द्वारा श्री अभी गुप्ता, को ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अभी गुप्ता ने पदस्थापित कार्यालय में दिनांक–17.12.2025 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किया है। इस प्रकार प्रभार रहित अवधि 06.10.2025 से 16.12.2025 तक है।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 के आलोक में श्री अभी गुप्ता, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान का दिनांक–06.10.2025 से 16.12.2025 तक की अवधि को पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01 / स्था०क्षे०–303 / 2026 / पटना, दिनांक– फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सिवान / उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01 / स्था०क्षे०–303 / 2026– 211 / पटना, दिनांक–03 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग, बिहार, पटना / सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान / श्री अभी गुप्ता, को ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान / श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।

Rajesh Ji Letter